

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 12/04/2016

संख्या- 2/टी०-05/2016

403(2)


/स्वा०

डा० अजय कुमार शाही,

चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना एवं डा० विमल कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, रूकनपुरा, पटना को अगले आदेश तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम/नशा विमुक्ति कार्यक्रम/अन्य कार्य के पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. डा० शाही एवं डा० चौधरी को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब उक्त आदेश के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. डा० शाही एवं डा० चौधरी के वेतन की निकासी उनके पदस्थापित स्थान से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर की जाएगी।


(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/टी०-05/2016-

403(2)

पटना, दिनांक 12/04/2016


प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव